

नि.कत्ता के अधिवक्ता ने नोटिस
तलवाना पेश किया, नोटिस जारी
हो। स्थगन की अधिव्य आगामी
पेशी तक बढ़ाई जाती है रिफाई
तलव करें। पत्रावली दिनांक 10.8.17
को पेश हो।

28.8.17 कमिश्नरीगण की हड़ताल आज
दिनांक को समाप्त होने कारण, पत्रावली
आज पेशी में ली गई। स्थगन की
अधिव्य आ. पेशी तक बढ़ाई जाती
है रिफाई तलव कर, पत्रावली
दिनांक 18.09.17 को पेश हो।



15.09.2017

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में
ली गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि अप्रार्थीगण से प्रार्थी निगरानीकर्ता का राजीनामा हो गया है।
इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने निगरानी प्रकरण को प्रार्थी
इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही
निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही
नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा
नोटप्रेस करने के कारण, हस्तगत निगरानी नोटप्रेस में खारिज की जाती
है। आदेशिका की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल
शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।



अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Not Press
15/9/17
(स.स.)